भारतीय मानक ब्यूरो की रिश्वत-विरोधी नीति

1. उद्देश्य

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिश्वत-विरोधी नीति का उद्देश्य निम्नांकित है:

क) बीआईएस एवं बीआईएस के लिए कार्यरत सभी व्यक्तियों की रिश्वत के प्रति जीरो-टॉलरेंस की स्थिति का अनुपालन करने तथा इसे कायम रखने की प्रतिबद्धता को स्थापित करना; और

ख) बीआईएस में कार्यरत व्यक्तियों को रिश्वत से संबंधित विवादों की पहचान करने तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए जानकारी एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना ।

2. नीति कथन

2.1 हम, निम्नांकित के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस) में हमारी समस्त गतिविधियों में रिश्वत को रोकने, पता लगाने तथा उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं:

1) मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन तथा बीआईएस की संबद्ध गतिविधियों में स्टेकहोल्डरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, खुलापन की संस्कृति स्थापित करना;

2) संगठन के भीतर तथा स्टेकहोल्डरों के साथ रिश्वत से संबंधित यदि कोई मामला हो तो उसे प्रतिशोध के किसी प्रकार के डर के बिना उठाए जाने हेतु विश्वास के परिवेश का निर्माण करना;

3) रिश्वत-मुक्त व्यवसायिक परिवेश का निर्माण करना और रिश्वत के प्रति जीरो-टॉलरेंस के लक्ष्य को हासिल करना;

4) कपटपूर्ण रीतियों को समाप्त करने हेतु रिश्वत-विरोधी कानूनों तथा लागू दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना;

5) रिश्वत जोखिमों का निर्धारण करने के समय उसकी प्रकृति तथा प्रसार की पूरी सावधानी से जाँच करना;

6) रिश्वत-विरोधी नीति के गैर-अनुपालन के समस्त मामलों के लिए लागू कानून तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित अनुशासनिक कार्रवाइयाँ करना;

7) पूरे बीआईएस में रिश्वत-विरोधी प्रबंध पद्धति लागू करना, समय-समय पर समीक्षा करना तथा इसकी प्रभावकारिता में सतत् सुधार करना;

8) कर्माचारियों के समस्त स्तरों से संबंधित रिश्वत-विरोधी मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण के साथ स्वतंत्र अनुपालन प्रकार्य स्थापित एवं अधिसूचित करना और रिश्वत-विरोधी अनुपालन प्रकार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना;

9) यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों एवं बिजनेस एसोसिएट को रिश्वत-विरोधी नीति का उल्लंघन करने पर उसके परिणामों की जानकारी हो ।

3. अनुप्रयोग

3.1 यह रिश्वत-विरोधी नीति बीआईएस के साथ कार्यरत वास्तविक एवं संभावित पक्षकार और ग्राहक, बाह्य सेवा प्रदाताओं, परामर्शकों, संविदाकारों, उप- संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रताओं, सलाहकारों, एजेंटों, अन्य सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र/ निजी क्षेत्र के संगठनों एवं निकायों के प्रतिनिधियों सहित, वे चाहे जहाँ कहीं स्थित हो, तक ही समिति न रह कर, बीआईएस के सभी स्तर एवं ग्रेडों के समस्त कर्मचारियों (चाहे स्थायी, प्रतिनियुक्ति पर, कार्यकाल या संविदा के आधार पर, प्रशिक्षु या प्रशिक्षणार्थी कुछ भी हो) तथा बीआईएस के बिजनेस एसोसिएट सहित सभी पर लागू होती है। यह रिश्वत-विरोधी नीति बीआईएस की गवर्निंग काउंसिल, कार्यकारी समिति तथा सलाहकार समितियों के सदस्यों तथा बीआईएस की अन्य किसी भी स्तर की समिति सदस्यों पर लागू होती है ।

4. रिश्वत क्या है ?

4.1 इस रिश्वत-विरोधी नीति के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी का निष्पादन करने के संबंध में किसी कार्य को करने या न करने हेतु कोई प्रलोभन या लाभ के रूप में लागू कानून का उल्लंघन करते हुए, और किसी भी स्थान पर तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को किसी मूल्य (जो वित्तीय या गैर-वित्तीय हो सकता है) के किसी अनुचित फायदे का प्रस्ताव, वायदा करना, देना, स्वीकार करना या याचना करने का कृत्य "रिश्वत" की परिभाषा में आता है ।

4.2 "अनुचित फायदा" शब्द से अभिप्राय कानूनी पारिश्रमिक के अलावा किसी अन्य प्रकार के पारितोषिक से है । शब्द "प्रलोभन" का अर्थ केवल आर्थिक प्रलोभनया धन के रूप में मूल्य योग्य प्रलोभनोंतक ही सीमित नहीं है । "कानूनी पारिश्रमिक" का भाव भुगतान किए गए पारिश्रमिक तक ही सीमित नहीं है, अपितु किसी व्यक्ति को सेवा करने पर उसे प्राप्त होने वाले ऐसे सभी पारिश्रमिक शामिल हैं, जो सरकार या संगठन द्वारा अनुमत हैं ।

4.3 रिश्वत अनुचित फायदा स्वीकार करने के कृत्य तक ही सीमित नहीं है । रिश्वत में किसी व्यक्ति से कोई अनुचित फायदा प्राप्त करना या स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास करने के साथ-साथ किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुचित फायदा देना या देने का वादा करने के कृत्य शामिल हैं ।

4.4 संक्षेप में रिश्वत को कोई अनुचित फायदा प्राप्त करने हेतु किसी मूल्य का कुछ देने या लेने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।

4.5 रिश्वत में किसी प्रकार के वाणिज्यिक, संविदागत, नियामक या व्यक्तिगत फायदे को पाने के लिए निर्णय-कर्ता से कोई अनुकूल निर्णय, कार्रवाई करने या छूट लेने हेतु दिया गया या किए गये वायदे का प्रलोभन या प्रस्तावित लाभ है। रिश्वत अनेक रूपों में हो सकती है और आम उदाहरणों में धन राशि, कमीशन, ऋण, फीस का भुगतान करना, सुविधा भुगतान रिश्वतें, सेवाएँ, छूटें, संविदा का पंचाट, कीमती उपहार, बहुमूल्य मनोरंजन एवं आतिथ्य, संबंधियों को रोजगार देना या नियुक्त करना, चिकित्सा खर्चों का भुगतान करना, अकादमिक अध्ययनों हेतु व्यवस्था तथा भुगतान करना, किसी विधि-सम्मत व्यवसाय प्रयोजन के बिना यात्रा तथा आवास का भुगतान करना,अवकाश अपार्टमैंट का निःशुल्क उपयोग करना, राजनैतिक अंशदान, धर्मार्थ दान या रिश्वत के माध्यम से प्रायोजित करना शामिल है । लगभग सभी प्रकार की रिश्वत का लेनेदेन सीधे या बिजनेस एसोसिएट जैसे एजेंटों, सहयोगियों, इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है ।

5. क्या स्वीकार्य हैं और क्या स्वीकार्य नहीं हैं

5.1 रिश्वतखोरी

5.1.1 रिश्वतखोरी एक अपराधिक कृत्य है और रिश्वतखोरी के सभी रूप निषेध है । बीआईएस के कर्मचारी और इस के बिजनेस एसोसिएट ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे जो रिश्वतखोरी या अन्यथा रिश्वत खोरी विरोधी नीति का उल्लंघन हो ।

5.2 उपहार, आतिथ्य सत्कार (hospitality) एवं अन्य लाभ

5.2.1 बीआईएस के कर्मचारी और बीआईएस के बिजनेस एसोसिएट बदले में व्यवसाय में किसी प्रकार के लाभ की प्रत्याशा या व्यवसाय में लाभ या अनुग्रह या अनुकंपा के वायदे के साथ या किसी व्यवसाय के लिए पुरस्कार या अनुग्रह या लाभस्वरूप किसी प्रकार का उपहार, आतिथ्य सत्कार और अन्य लाभ देने का प्रस्ताव,वायदा करने, देने, स्वीकार करने, अनुग्रह में लिप्त नहीं होंगे । इसमें फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, भव्य आतिथ्य सत्कार या बारम्बार आतिथ्य सत्कार या अन्य सेवाया अन्य कोई विशेष लाभ शामिल हैं । आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य सत्कार निषिद्ध नहीं हैं ।

5.2.2 बीआईएस के कर्मचारियों पर यथा लागू सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत, उपहार, आतिथ्य सत्कार या अन्य कोई लाभस्वी कार्य हैं यदि:

क)यह व्यापारिक लेनदेन या किसी फ़ेवर या लाभ के लिए लक्षित आदान प्रदान के संबध में प्राप्तकर्ता पार्टी को प्रभावित करने की मंशा से न किया गया हो;

ख)यह बदले में लाभ की प्रत्याशा के संकेत के साथ न किया गया हो और यह प्राप्तकर्त्ता के लिए बाध्यता या प्रत्याशा उत्पन्न न करें;

ग)यह प्रदाता और प्राप्तकर्ता संगठन की प्रक्रियाओं और आचार संहिता द्वारा अनुमत हो तथा लागूकानून,नियम, विनियम और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हो;

घ)यह प्राय घटित न हो;

ड)यह स्टेकहोल्डर की धारणा के अनुरूप हो अर्थात स्टेकहोल्डर इसे प्रतिकूल रूप में न देखें और उसकी जानकारी में लाया जाए;

च)यह कंपनी के नाम और खर्चो पर दिया गया हो और ये प्रयोजन, अनुमोदन और मूल्य सहित पूर्णत प्रलेखित हो;

छ)यह नकद में या नकद के समानन हो (अर्थात एक वाउचर या उपहार प्रमाण पत्र);

ज)यह उपयुक्त प्रकार एवम मूल्य का हो और उपयुक्त समय पर दिया गया हो, यह विचार करते हुए की उपहार का कारण वास्तविक हो;

झ)यह खुले तौर पर दिया / प्राप्त किया गया हो और प्रलेखित किया गया हो, गुप्त रूप से एवं अप्रलेखित न किया गया हो;

ञ)यह ठेका देने, प्रमाणपत्र स्वीकृत या भुगतान करने की स्थिति रखने वाले संबद्ध व्यक्ति को चुनिंदा रूप से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने के मंतव्य से न दिया गया हो ।

5.3 सुविधापूर्ण भुगतान एवं किकबैक

5.3.1 ''सुविधापूर्ण भुगतान'' रिश्वतखोरी का एक रूप है जिसमे उन सेवाओं के बदले छोटे भुगतान किये जाते है जिन्हें भुगतानकर्ता ऐसे भुगतान किए बिना कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है । यह आम तौर पर अपेक्षाकृत छोटा भुगतान होता है जो कि नियमित या आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने या कार्य को निपटाने के लिए प्रमाणिक कार्य वाले सार्वजनिक अधिकारी या व्यक्ति को किया जाता है । ''किकबैक'' अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत का ही एक रूप है, जहां अनुचित लाभ के एक हिस्से को 'रिश्वत के तौर पर''उस व्यक्ति को दिया जाता है या जिसने अनुचित फायदा पहुंचाया हो या उसने पहुंचाना हो ।

5.3.2 बीआईएस के कर्मचारी और इसके बिज़नेस एसोसिएट सुविधा भुगतान और किकबैक का प्रस्ताव करने, वादा करने, देने, स्वीका रकरने या मांगने में लिप्त नही होंगे ।

5.4 राजनीतिक चंदा

5.4.1 बीआईएस किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को कोई चंदा नही देता है ।

5.4.2 बीआईएस कर्मचारियों पर यथालागू सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएस के कर्मचारी एवं इसके बिज़नेस एसोसिएट ऐसे किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की सहायतार्थ नगद में या किसी अन्य तरीके से चंदा नही देगा जो कि अनुचित व्यापारिक लाभ पाने के प्रयास स्वरूप प्रभावित करने या प्रभावित कर सकने के लिए अभीष्ट हो । ऐसा चंदा दानकर्त्ता के संगठन की प्राक्रियाओ और आचार संहिता और लागू कानून, नियम एवं विनियमों द्वारा अनुमत हो ।

5.5 परमार्थ (charitable) चंदा

5.5.1 बीआईएस के कर्मचारियों पर यथा लागू CCS (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत परमार्थ सहायता एवं चंदा स्वीकार्य है (जिसे वास्तव में प्रोत्साहित तभी किया जाता है) जो कि यथारूप सेवा, जानकारी, समय या सीधे वित्तीय योगदान के रूप में हो सकता है । तथापि, बीआईएस के कर्मचारी और इसके बिज़नेस एसोसिएट को सुनिश्चित करना होगा कि परमार्थ चंदा रिश्वतखोरी को छिपाने की योजना के रूप में प्रयुक्त न हो और ऐसा चंदा दानकर्ता संगठन की प्राक्रियाओ और आचरण संहिता द्वारा एवं लागू कानून, नियम एवं विनियमों द्वारा अनुमत हो ।

6. बीआईएस कर्मचारी और बिज़नेस एसोसिएट के उत्तरदायित्व

6.1 बीआईएस के सभी कर्मचारी और इसके बिज़नेस एसोसिएट ये सुनिश्चित करे कि उन्होंने इस रिश्वतखोरी विरोधीनीति को पढ़, समझ लिया है और वे इसका अनुपालन करें ।

6.2 बीआईएस के सभी कर्मचारी और बिज़नेस एसोसिएट बीआईएस की किसी भी गतिविधि के सम्बंध में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के अन्य रूपों को रोकने, पता लगाने एवं रिपोर्टिंग के लिए समान रूप से उत्तरदायी है । वे ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें जो इस रिश्वत-विरोधी नीति का उल्लंघन हो या निहित हो ।

6.3 बीआईएस के सभी कार्मिकों और बिज़नेस एसोसिएट को यह विश्वास अथवा संदेह होता है कि रिश्वत ली गई है अथवा रिश्वत-विरोधी नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा भविष्य में ऐसा होगा तो महानिदेशक ,बीआईएस और मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस को सूचित करे ।

6.4 रिश्वत-विरोधी नीति का उल्लंघन करने वाले बीआईएस के कर्मचारी पर यथ लागू नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीआईएस के पास इस रिश्वत-विरोधी नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी बिज़नेस एसोसिएट या कर्मचारी के साथ संविदा संबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

6.5 रिश्वत एक आपराधिक कृत्य है और रिश्वत में लिप्त व्यक्ति पर रिश्वत-विरोधी अधिनियम 1988 और रिश्वत-विरोधी (संशोधित), अधिनियम 2018 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

7. रिश्वतखोरी के विरूद्ध आवाज उठाना

7.1 बीआईएस के कर्मचारियों, बिज़नेस एसोसिएट अथवा अन्य किसी तीसरे पक्ष को बीआईएस की किसी भी गतिविधि के संबंध में रिश्वत के किसी प्रयास, आशंका और वास्तविक रिश्वत या इस रिश्वत-विरोधी नीति के उल्लंघन के विरुद्ध यथासंभव आरंभ में ही आवाज उठानी चाहिए ।

7.2 ऐसा सरोकार उचित भावना या उपयुक्त विश्वास के आधार पर व्यक्त किया जाए और ऐसा प्रतिशोध की भावना या किसी व्यक्ति या संगठन को नुकसान पहुंचाने के लिए न हो ।

7.3 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संकल्प सं. 89, दिनांक 21 अप्रैल 2004, जिसे सामान्यत: जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता की सुरक्षा (पीआडीपीआई) संकल्प 2004 के रूप में जाना जाता है , में उस तंत्र पर बल दिया गया है कि जिसमें शिकायतकर्ता शिकायत करके सचेत कर (blow a whistle) सकता है और ऐसा करने पर स्वंय के लिए सुरक्षा की मांग कर सकता है । पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग सचेतक (whistle blower) की शिकायत प्राप्त करने के लिए अभिनामित एजेंसी है ।

7.4 पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत सचेतक के शिकायत दर्ज कराने के विवरण के लिए कृपया केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेबसाइट लिंक https://cvc.gov.in/citizens-corner/whistle blower complaints देखें ।

7.5 बीआईएस के कर्मचारी और बिजनेस एसोसिएट अथवा अन्य तीसरे पक्ष को यदि कोई रिश्वत का प्रस्ताव देता है, देने के लिए कहता है, उन्हे आशंका हो कि निकट भविष्य में रिश्वत दी जा सकती है या रिश्वत देने के लिए कहा जा सकता है तो वे यथाशीघ्र महानिदेशक, बीआईएस औऱ मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस को सूचित करेंगे ।

8. सुरक्षा

8.1 बीआईएस समझता है कि बीआईएस के कर्मचारी या बीआईएस के बिजनेस एसोसिएट या कोई अन्य तीसरा पक्ष जो रिश्वत लेने या देने से मना करता है या रिश्वत के संभावित मामलों के प्रति सरोकार प्रकट करता है तो इसके संभावित परिणाम उसके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं । बीआईएस ऐसे किसी भी व्यक्ति की सहायता

और सुरक्षा करेगा जो सदभावना से रिश्वत-विरोधी नीति के अंतर्गत सरोकार प्रकट करता है तथा उसके द्वारा प्रकट सरोकार अंतत: निराधार पाए जाने पर भी बीआईएस उसे सहयोग और सुरक्षा प्रदान करेगा ।

8.2 बीआईएस सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कार्मिक को रिश्वतमें लिप्तता के लिए मना करने या रिश्वत के प्रयास, वास्तविक या आशंकित रिश्वतखोरी या इस रिश्वत-विरोधी नीति के उल्लंघन को (केवल उल्लंघन में वैयक्तिक भागीदारी को छोड़ कर) उचित विश्वास के आधार पर रिपोर्ट करने या सरोकार प्रकट करने या सदभावना से शिकायत करने के परिणाम स्वरूप प्रतिशोध, भेदभाव या अनुशासनात्मक कार्यवाही अर्थात धमकी, अलगाव, पदावनति, उन्नति को रोकने, स्थानांतरण, बर्खास्तगी, तंग करने, उत्पीड़न या अन्य किसी प्रकार के उत्पीडन का सामना न करना पड़े ।

8.3 यदि बीआईएस का कोई कार्मिक या बिजनेस एसोसिएट या कोई अन्य तीसरा पक्ष यह पाता है कि इस नीति के लिए सरोकार प्रकट करने पर या रिश्वत लेने या देने से मना करने के लिए उसके साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार हुआ है तो वह महानिदेशक बीआईएस और मुख्य सतर्कता अधिकारी बीआईएस से तुरंत संपर्क करे ।

9 संप्रेषण

9.1 यह रिश्वत-विरोधी नीति सभी संबद्ध स्टेकहोल्डरों, बीआईएस कार्मिकों और बीआईएस बिजनेस एसोसिएट सहित सभी के लिए www.bis.gov.inपर उपलब्ध है ।

9.2 इस रिश्वत-विरोधी नीति की जानकारी बीआईएस के कर्मचारियों और बीआईएस के संबंधित बिजनेस एसोसिएट को दी जाएगी । बीआईएस के सभी कार्मिक और बीआईएस के बिजनेस एसोसिएट स्पष्टत: बीआईएस की रिश्वत-विरोधी नीति के प्रति वचनबद्ध रहेंगें ।

----------xxx----------